न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जयपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या 301/2025 जी.सी.एम.एस. संख्या :– 2024/479

1. देवीलाल पुत्र महादेव जाति बागडा ब्राह्मण निवासी रामचन्दपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–: प्रार्थी :–

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

–: अप्रार्थीगण :–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल0 आर0 एक्ट 1956

उपस्थित :– स्वयं प्रार्थी।

निर्णय दिनांक 11/07/2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 35/1 रकबा 0.8472 है0, खसरा नम्बर 35/2 रकबा 1.2645 है0 एवं खसरा नम्बर 35/119 रकबा 0.1138 है0 ग्राम बाला की नांगल तहसील बस्सी के नक्शे को जमाबन्दी में दर्ज रकबे एवं एकीकरण के नक्शे के अनुसार दुरूस्त किये जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 35/1 व 35/2 के नक्शे में जे0डी0ए0 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 35/119 के किये गये अंकन को निरस्त किया जाकर उपरोक्त वर्णित भूमि का नक्शा जमाबन्दी में दर्ज रकबे एवं एकीकरण के नक्शे के अनुसार दुरूस्त किये जाने एवं खसरा नम्बर 35/119 रकबा 0.1138 है0 गै0मु0रास्ते का इन्द्राज विद्यमान सड़क के स्थान पर किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट किये जाने तथा प्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 25 रकबा 1.2392 है0 एवं इसके आस–पास जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज खसरा नम्बर 14/118 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा के राजस्व जमाबन्दी व भू–नक्शे में भी भिन्नता है। उक्त वादग्रस्त भूमि में सैग्रीगेशन कार्यवाही के दौरान राजस्व जमाबन्दी के अनुसार भू–नक्शे की सीमाओं का अंकन सही नहीं होने से उक्त वादग्रस्त भूमियों के भू–नक्शे की सीमाए राजस्व जमाबन्दी अनुसार दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार बस्सी से वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। न्यायालय हाजा द्वारा स्वप्रेरणा से आवश्यक पक्षकार होने पर प्रतिवादी संख्या 2 के तौर पर पक्षकार संयोजित किया गया। बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार बस्सी पत्रांक भू0अ0/2024/592 दिनांक 14.02.2024 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत करवाया कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी खाता संख्या 81 खसरा नम्बर 25 रकबा 1.2392 है0, खसरा नम्बर 35/1 रकबा 0.8972 है0 तथा खसरा नम्बर 35/2 रकबा 1.2645 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.3509 है0 खातेदार कमलेश पुत्र कानाराम हिस्सा 1/16 देवीलाल पुत्र महादेव

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला–जयपुर

हिस्सा 1/4 मुन्नीदेवी पत्नी स्व0 कानाराम हिस्सा 1/16 राधेश्याम पुत्र कानाराम हिस्सा 1/16 रामजीलाल पुत्र कानाराम हिस्सा 1/16 लालाराम पुत्र चौथमल हिस्सा 1/2 समस्त जाति बागड़ा ब्राहगण निवासी रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 35/119 रकबा 0.1138 है0 वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम दर्ज है। प्रार्थी खातेदारान द्वारा खसरा नम्बर 35/1, 35/2, 35/119, 25 के सम्बन्ध में नक्शा दुरूस्ती हेतु आवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न एकीकरण खतौनी अनुसार खसरा नम्बर (मूल) 35 रकबा 8–07 बीघा भू–प्रबन्ध खसरा संख्या 115 (मिन) रकबा 0–12 बीघा, खसरा नम्बर 117 रकबा 1–06 बीघा, खसरा नम्बर 118/1 रकबा 2–18 बीघा, खसरा नम्बर 118/2 रकबा 2–17 बीघा, खसरा नम्बर 119 (मिन) रकबा 0–14 बीघा से मिलकर बना है। खसरा संख्या 35/119 रकबा 0–09 बीघा भू–प्रबन्ध खसरा संख्या 119 (मिन) रकबा 0–09 बीघा से बना है। खसरा संख्या 25 रकबा 4–18 बीघा भू–प्रबन्ध खसरा संख्या 68 (मिन) रकबा 4–18 बीघा से बना है। खसरा संख्या 35 रकबा 8–07 बीघा के नामान्तकरण संख्या 120 दिनांक 02.08.2012 विक्रय पत्र के द्वारा नवीन खसरा नम्बर 35/1 रकबा 3–07 बीघा तथा खसरा संख्या 35/2 रकबा 5–00 बीघा जमाबन्दी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुये। जबकि खसरा नम्बर 35/119 रकबा 0–09 बीघा एकीकरण कार्यवाही से आदिनांक तक राजस्व रिकॉर्ड में अविभाजित रूप से यथावत बना हुआ है। राजस्व नक्शा लट्ठा में खसरा संख्या 35/1, 35/2 तथा 35/119 की लाल पैन से तरमीम की गयी है, जबकि पूर्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा संख्या 35/119 मूल खसरा था तथा नक्शा लट्ठा में मूल खसरे के तौर काली स्याही से अंकन होना चाहिये था तथा खसरा संख्या 35 से बने नवीन खसरों 35/1, 35/2 का ही लाल स्याही से नवीन तरमीम की जानी आवश्यक थी, जबकि नक्शे लट्ठे में खसरा संख्या 35 के तीन टूकडों में तरमीम कर खसरा संख्या 35/1, 35/2 एवं 35/119 अंकित किये गये है। खसरा संख्या 35/119 की तरमीम त्रुटिवश की गयी प्रतीत होती है, जो एकीकरण मिलान क्षेत्रफल तथा भू–प्रबन्ध नक्शे से समरूप नहीं है, जो कि एकीकरण खतौनी मिलान क्षेत्रफल तथा भू–प्रबन्ध के अनुरूप होनी चाहिये तथा खसरा संख्या 35/119 की तरमीम शुद्धि पश्चात खसरा संख्या 35/1 तथा 35/2 की तरमीम भी जमाबन्दी में दर्ज रकबा अनुसार किया जाना अपेक्षित है। प्रार्थी खातेदारान द्वारा खसरा संख्या 25 रकबा 1.2392 है0 के नक्शे में जमाबन्दी के मुकाबले रकबा कम किये जाने के सम्बन्ध में नक्शा दुरूस्ती हेतु निवेदन किया गया है। पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा तथा आनलाईन नक्शे की आकृति समरूप है, किन्तु सैग्रीगेशन नक्शे तैयार करते समय खसरा नम्बर 81 रकबा 3.0474 है0 की तरमीम नक्शा लट्ठा से विपरित कर दी गई है। खसरा नम्बर 122/24 एवं खसरा नम्बर 121/24 की तरमीम भी मौके अनुरूप नहीं की गई है। अतः उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान का पूर्व रिकॉर्ड (भू–प्रबन्ध, एकीकरण) तथा खसरा संख्या 122/24 व खसरा संख्या 121/24 राजकीय प्रयोजन से आवंटित खसरों की मौके की अवस्थिति के अनुसार प्रस्तावित स्थिति/नक्शा संलग्न कर प्रेषित किये है। तहसीलदार रिपोर्ट पर बहस प्रार्थी की सुनी गई।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन पश्चात् हम पाते है कि वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा संख्या 35/1, 35/2 तथा 35/119 के वर्तमान लट्ठा नक्शा व आनलाईन तो समान है, परन्तु खसरा संख्या 35/1, 35/2 तथा 35/119 के साबिक खसरा संख्या 115 (मिन) रकबा 0–12 बीघा, खसरा नम्बर 117 रकबा 1–06 बीघा, खसरा नम्बर 118/1 रकबा 2–18 बीघा, खसरा नम्बर 118/2

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 2–17 बीघा, खसरा नम्बर 119 (गिन) रकबा 0–14 बीघा से मिलकर बना है। खसरा संख्या 35/119 रकबा 0–09 बीघा भू–प्रबन्ध खसरा संख्या 119 (गिन) रकबा 0–09 बीघा की भू–प्रबन्ध कार्यवाही में नक्शे की सीमाओं का अंकन जमाबन्दी में दर्ज रकबे अनुसार नहीं किया गया है। जिससे एकीकरण मिलान क्षेत्रफल एवं भू–प्रबन्ध नक्शे में भिन्नता स्पष्ट है। खसरा संख्या 35/1, 35/2 व 35/119 के नक्शे की तरमीम एकीकरण मिलान क्षेत्रफल मुताबिक वर्तमान नक्शा दुरूस्त किया जाना एवं खसरा नम्बर 35/119 रकबा 0.1138 है0 गै0मु0रास्ते का इन्द्राज विद्यमान सड़क के स्थान पर किया जाना तथा खसरा संख्या 81 एवं राजकीय प्रयोजन से आवंटित खसरा संख्या 122/24 व 121/24 के नक्शे की तरमीम भी सैग्रीगेशन नक्शा तैयार करते समय राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबा के विपरित की होने से खसरा नम्बर 81 एवं राजकीय प्रयोजन हेतु आवंटित खसरा नम्बर 122/24 व 121/24 की भी रकबा बरारी कर नक्शे की तरमीम शुद्ध/दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बाला की नांगल प.ह. सिन्दोली तहसील बस्सी के खसरा संख्या 35/1, 35/2 व 35/119 के नक्शे की तरमीम एकीकरण मिलान क्षेत्रफल मुताबिक वर्तमान नक्शा दुरूस्त किया जावे एवं खसरा नम्बर 35/119 रकबा 0.1138 है0 गै0मु0रास्ते का इन्द्राज विद्यमान सड़क के स्थान पर किया जाने तथा खसरा संख्या 81 एवं राजकीय प्रयोजन से आवंटित खसरा संख्या 122/24 व 121/24 के नक्शे की तरमीम भी सैग्रीगेशन नक्शा तैयार करते समय राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबा के विपरित की होने से खसरा नम्बर 81 एवं राजकीय प्रयोजन हेतु आवंटित खसरा नम्बर 122/24 व 121/24 की भी रकबा बरारी कर नक्शे की तरमीम शुद्ध/दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बस्सी उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। तहसीलदार बस्सी को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 11.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner